



मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने विशेष मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF) के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बंदि

- इस मंजूरी के तहत कोष की अनुमानित राश 7,522 करोड़ रुपए होगी जसमें से 5266.40 करोड़ रुपए प्रमुख ऋणदाता नकियों द्वारा जुटाए जाएंगे, जबकि इसमें लाभार्थियों का योगदान 1316.6 करोड़ रुपए का होगा।
- भारत सरकार से बजटीय सहायता के रूप में 939.48 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।
- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD), राष्ट्रीय सहकारी विकास नगम (National Cooperatives Development Corporation (NCDC) और सभी अनुसूचित बैंक (अब बैंक लिखा जाएगा) इसके लिये प्रमुख ऋणदाता नकिय होंगे।

लाभ

- समुद्री और अंतरदेशीय मत्स्य पालन दोनों ही क्षेत्रों में मत्स्य पालन से जुड़ी बुनयिदी ढाँचागत सुवधिएँ स्थापति की जाएंगी।
- 'नीली क्रांति' के तहत वर्ष 2020 तक के लिये निर्धारित 15 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त करने और 8-9 प्रतिशत की सतत वृद्धि दर हासलि करने हेतु मछली उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसके बाद मछली उत्पादन को वर्ष 2022-23 तक बढ़ाकर लगभग 20 एमएमटी के स्तर पर पहुँचाया जाएगा।
- 9.40 लाख से भी ज़्यादा मछुआरों/मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के साथ-साथ मत्स्य पालन एवं संबद्ध गतिविधियों के अन्य उद्यमियों के लिये रोज़गार के अवसर सृजति होंगे।
- मत्स्य पालन से जुड़ी बुनयिदी ढाँचागत सुवधियों की स्थापना एवं प्रबंधन से नजी नविश को प्रोत्साहन मिलेगा।
- नई प्रौद्योगिकियों अपनायी जाएंगी।

FIDF के तहत ऋण की व्यवस्था

- FIDF से राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों एवं राज्यों के नकियों, सहकारी समितियों, वभिन्न लोगों और उद्यमियों, इत्यादि को रयियती वित्त प्राप्त होगा जससे वे मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास से जुड़ी चनिहता नविश गतिविधियों पूरी कर सकेंगे।
- FIDF के तहत ऋण का वितरण 2018-19 से लेकर 2022-23 तक के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान कया जाएगा और अदायगी अधिकतम 12 वर्षों की अवधि में होगी जसमें मूलधन के भुगतान पर दो वर्षों का ऋण स्थगन भी शामिल है।